

फैक्सबिहार सरकार  
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,  
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,  
सहरसा।

पटना, दिनांक.....

विषय:- सहरसा जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-17-1/वि० दिनांक-19.01.2013 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सहरसा जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री इन्दूभूषण सिंह,	4297/95
2.	श्री हरिशेखर मिश्रा	1389/88
3.	श्री रामावतार प्रसाद यादव	1879/69
4.	श्री मुरलीधर मेहता	674/65
5.	श्री मो० नैयर आलम	1577/95
6.	श्री शिवेन्द्र प्रसाद	2942/99
7.	श्रीमती उषा मेहता	1296/89
8.	श्री अरूण कुमार राम	3288/2003
9.	श्री जर्नादिन प्रसाद	1518/69
10.	श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद	1398/83
11.	श्री कैलाश विश्वास	695/94
12.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	482/67
13.	श्री सदानंद यादव	239/78


- उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूर्ण होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।
- इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।
- इस शर्त के साथ नियुक्ति की अनुशंसा की गई कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी का अपर लोक अभियोजक में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-13,12,11,10, पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

विश्वासभाजन

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।


ज्ञापांक:-...S.15.7.../जे०, पटना, दिनांक:-.....14/08/15.....

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...S.15.7.../जे०, पटना, दिनांक:-.....14/08/15.....

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।